संख्या-159/2025/।/1173565/2025/ 71-1002(002)/9/2022

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 15 दिसम्बर, 2025

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष निर्गत शासनादेश दिनांक 03.07.2025 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/पी0एफ0एम0एस0/2025-26/249, दिनांक 10.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ तथा उरई, जालौन में पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण/सिविल कार्य तथा उपकरण मद हेतु एस0एन0ए0 में रक्षित धनराशि से अधिक धनराशि निर्गत होने से अवगत कराते हुए आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-115/2025/।/1012737/2025/71-1002/19/2022, दिनांक 03.07.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में 05 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के सापेक्ष अनुमोदित उपकरणों के क्रय हेतु धनराशि रू0 144.00 लाख (केन्द्रांश) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-2) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन में पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत महानिदेशक के निर्वतन पर केन्द्रांश के रूप में एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि रू0 1.44 करोड़ के सापेक्ष निर्गत अधिक लिमिट/धनराशि रू0 0.0024 करोड़ (केन्द्रांश) को समायोजित किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2025 (जिसके द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु रू0 1.44 करोड़ (केन्द्रांश) की लिमिट निर्गत की गयी है) को संशोधित करते हुए रू0 1.4376 करोड़ (केन्द्रांश) की अनुमति प्रदान की जाती है।

शासनादेश संख्या-115/2025/।/1012737/2025/71-1002/19/2022, दिनांक 03.07.2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपर्युक्तानुसार/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जालौन।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।